"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 91 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल 2007—चैत्र 13, शक 1929

### पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

### अधिसूचना

क्रमांक /पं./पंग्राविवि/22/2007/409.—छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम, 1999 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 61-क से 61 छ के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से सात दिन का अवसान होने पर विचार किया जावेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक 261 को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

## संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :-

नियम 10 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"परन्तु ऐसी कालोनियां जो राज्य सरकार के अधीन किसी निकाय द्वारा समाज के कमजोर आय वर्ग के लिये विकसित किया जाना हो, ऐसे निर्बंधनों से मुक्त होगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एच. पी. किण्डो**, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2007

क्रमांक /पं./पंग्राविवि/22/2007/410.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1999 में संशोधन बाबत् अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एच. पी. किण्डो**, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 28th March 2007

## NOTIFICATION

No./P./PGVV/22/2007/409.—The following draft amendment in Chhattisgarh Gram Panchayat (Registration, Restrictions and Conditions for Colonizers) rules, 1999 by which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with section 61-A to 61-G of the Chhattisgarh Panchayatraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act for the information to all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of Seven days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion, which is received by the Secretary, Government of Chhattisgarh, panchayat and Rural Development Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralay, Raipur, Room No. 261 from any person with resepct to the said draft before expiry of the aforesaid specified period during office hours shall be considered by the State Government.

## DRAFT AMENDMENT

In the said rules :-

After sub rule (1) of rule 10 the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that such colonies, as developed for the low income group of society by any body under the State Government, be exempted from such restrictions."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. P. KINDO, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.